

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 248/2011

वादी :-

श्री सीमेन्ट लि० (रास प्रोजेक्ट) जरिद  
महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक  
व प्रशासन) पुत्र श्री जवाहरलाल  
चौपड़ा सा. बांगड नगर अन्धेरी  
देवरी, तहसील-मसूदा जिला-अजमेर  
(राज०)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. बाबु पुत्र धुला कौम-सुथार
2. इन्दिरादेवी पत्नि प्रेमसिंह  
जाति-रावणा राजपूत  
निवासीगण-निम्बेटी (रास-11)  
तह०-जैतारण, (जिला-पाली)
3. तहसीलदार, जैतारण  
तहसील-जैतारण जिला -पाली


राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रज्जु: 21/10/2011

1. श्री चावण्डदान बारहट, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

-:: निर्णय ::-

दिनांक:- 13/01/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि श्री सीमेन्ट लि० कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत एक पब्लिक लि० कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध हैं व इस कम्पनी का एक सीमेन्ट का प्लांट रास, तहसील-जैतारण में कार्यरत व उत्पादनरत हैं। वादी कम्पनी की ओर से कम्पनी के अतिरिक्त महाप्रबंधक महावीर चौपड़ा को यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत कर वाद की कार्यवाही करने हेतु कम्पनी द्वारा वादी को अधिकृत कर रखा हैं। इस बाबत् कम्पनी का वाद प्रस्तुत करने का अधिकार पत्र की फोटो प्रति वाद के साथ पेश किया हैं, जिसे वाद का एक भाग माना जावे। सरहद मौजा-रास-द्वितीय, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 3166 रकबा 9-03 बीघा किस्म बारानी दायम हैं, जिसमें वादी कम्पनी 1/3 हिस्से का वादी कम्पनी रिकॉर्डिड सह खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 2 उक्त भूमि के रिकॉर्डिड सह खातेदार काश्तकार हैं। सभी हिस्सेदारों के मध्य मौके पर भूमि अलग अलग बंटी हुई है व हिस्सानुसार सभी का कब्जा व काश्त है वादी की खसरा नम्बर 3166 रकबा 9-03 बीघा किस्म बारानी दायम भूमि में 1/3 हिस्से की भूमि यानि 3 बीघा 01 बिस्वा भूमि मौके पर बंटी हुई है व वादी का 1/3 हिस्से रिकॉर्डिड खातेदार काश्तकार के काबिज है। मगर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 की सम्पूर्ण भूमि में एक खाते के रूप शामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेश में भी सम्पूर्ण भूमि एक जोत दर्शाई गई हैं। मौके के कब्जे व काश्त अनुसार अलग अलग तरमीम ही हुई नहीं हैं। खसरा नम्बर 3166 की भूमि जिसे वाद में आगे वादग्रस्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा, की सम्वत् 2065 से 2068 की जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति की प्रति वाद के साथ पेश है, जिसे वाद का एक भाग माना जावे। वादी कम्पनी की वादग्रस्त कृषि भूमि वादी खसरा नम्बर 3166 की भूमि में 1/3 हिस्से की भूमि यानि 3 बीघा 01 बिस्वा भूमि मौके पर बंटी हुई हैं। वादी का अलग से कब्जा व काश्त हैं। वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के मौके के कब्जे, काश्त, हिस्से एवं खातेदारी अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के तकासमा करवाने का कहा-मगर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 की नियत सही नहीं होने से उन्होंने बंटवाड़ा करवाने से दिनांक 04.09.2011 को मना कर

  
उपखण्ड अधिकारी  
जैतारण (पाली)

दिया, जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वादी कम्पनी अपनी भूमि का बाई मिट्स एण्ड वाउण्ट्स के तकासमा करवाने का अधिकारी है। इसलिए दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया है। बाद तकासमा आराजी वादी अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भूमि का उपयोग / उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है व प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी, बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया, तो वादी को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नहीं है। वादी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया, तो वादी को बार-बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पडेगें, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया है। प्रतिवादी सं. 3 तहसीलदार जैतारण वादग्रस्त भूमि के लैण्ड होल्डर है जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि है व तकासमा आराजी के वाद में आवश्यक पक्षकार होने के कारण उन्हें इस वाद में पक्षकार बनाया गया है उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई है। प्रतिवादीगण को वादी कम्पनी व्यक्तिगत रूप से नहीं जानती है, इसलिए प्रतिवादीगण के नाबालिक या फौत होने की दशा में वादी कम्पनी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वाद की कार्यवाही में प्रार्थना पत्र के जरिए संशोधन करने का अधिकार रहेगा। बिनाय दावा दिनांक 04.09.2011 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड वाउण्ड्स का कहने व प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने व वादी को उनके हिस्से की भूमि से वेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम रास द्वितीय में पैदा हुआ, जो अब्दर म्याद हक अख्यार समायत अदालत बाला के है।

इस प्रकार माफिक दावा वकील वादी ने वादी का वाद डिफ्र किये जाने तथा माफिक राजस्व रेकॉर्ड वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड वाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाये जाने की ईशतदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति० जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किये गये। प्रति० सं० 1 व 3 की बावजूद सम्मनस तामिली / सूचना बार-बार आवाजें दिलाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध पक्षीय कार्यवाही दिनांक 21/11/11 को की गई। प्रति० सं० 2 की ओर से एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 14/11/11 को वकालतनामा श्री देवाराम कटारिया अधिवक्ता द्वारा पेश किया, दिनांक 14/11/11 को वकालतनामा श्री देवाराम कटारिया अधिवक्ता द्वारा पेश सा०मि० हैं। किन्तु तब से लगातार अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाबदावा पेश करने में विफल रहने से जबाबदावा दिनांक 13/11/14 को समाप्त किया गया। शहादत वादी पी०डब्ल्यू०-1 का तस्दीक सुदा शपथ-पत्र दिनांक 03/12/14 को पेश किया, जिसका मुख्य परीक्षण करवाया जाकर दस्तावेजात प्रदर्श Exp 1 जमाबन्दी सम्वत् 2065-68 तथा नजरी नक्शा ट्रेस Exp 2 को प्रदर्शित करवाया गया, सा०मि० हैं। अन्य शहादत वादी पेश नहीं करना चाहने से शहादत वादी दिनांक 03/12/14 को बन्द की गई।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने व्यक्त किया कि सरहद मौजा-रास-द्वितीय, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि आराजी खसरा नम्बर 3166 रकबा 9-03 बीघा किरम बरानी दोयम के स्वयं खातेदार काश्तकार वर्तमान में दर्ज हैं, जिससे माफिक राजस्व रिक्ॉर्ड उक्त विधेदित भूमि का बाई मिट्स एण्ड वाउण्ड्स बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की



वकालत अधिकारी  
रंगारण (पाबी)

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत वाद-पत्र, शहादत वादी के शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात Exp 1 से 2 का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी उक्त विवादित भूमि की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड अनुसार अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है। इसलिए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस उक्त विवादित आराजी की भूमि में वादी अपने हिस्से की भूमि का बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी हैं। लिहाजा उक्त विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस माफिक राजस्व रिपोर्ट प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर बंटवाड़ा किया जना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रेकर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-रास-द्वितीय, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि आराजी खसरा नम्बर 3166 रकबा 9-03 बीघा किरम बारानी दोयम भूमि में वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाकर खाता व लगान अलग-अलग कर नेखमबंदी /पत्थरगढ़ी करके खाता व लगान अलग-अलग करते हुए नजरी नक्शा बनाया जाकर प्राथमिक डिक्री पर्चा दिनांक 03/12/2014 को पृथक से बनाया जाकर सामिल मिशाल किया गया। बंटवाड़ा करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया गया है। जिन्हें प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर पालना भिजवाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को पत्रांक/कोर्ट/14/1231 दिनांक 16/12/14 को वास्ते विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार, जैतारण द्वारा बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पत्रांक /राजस्व/15/2277 दिनांक 05/01/2015 के जरिए पेश की, जिसे सा0मि0 किया गया।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट / विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 02/01/2015 वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद पत्र एवं प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः माफिक पत्रांक/14/2195 दिनांक 18/12/2014 के संलग्न सम्पादित विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 02/01/2015 की पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार वकील वादी ने बंटवाड़ा को सम्पुष्ट कर उक्त बंटवाड़े की स्वीकारोक्ति दी है। लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर एवं राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जाना उचित समझते हैं।

**--: आदेश :-**


अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 02/01/2015 मय नजरी नक्शा डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा-रास-द्वितीय, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि आराजी खसरा नम्बर 3166 रकबा 9-03 बीघा किरम बारानी दोयम भूमि का बंटवाड़ा /विभाजन पक्षकारानों में निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लिद्यत व सकूनत	ख0नं0	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किरम	लगान
1	मैसर्स श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपडा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) बांगड़ नगर अंधेरी देवरी तह0-मसूदा, जिला-अजमेर खातेदार।	3166	3-01-00	बा0दो0	0.76 रू0
2	रामगोपाल इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 पता 10ए अमरविजय काम्पलेक्स होटल मानसिंह के पास संसारचन्द रोड़, जयपुर	3166/1	6-02-00	बा0दो0	1.53 रू0


न्यायाधीश  
पंवारण (पाती)

जरिए अधिकृत प्रतिनिधि श्री  
महावीर चौपड़ा पुत्र श्री  
जवाहरलाल चौपड़ा 1/2 हि०  
बाबू पुत्र धूला कौम-सुथार सा०  
श्री निम्बेटी 1/2 हि०  
खातेदार।

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जावें। विभाजन प्रस्ताव / बंटवाड़ा रिपोर्ट अर्थात् पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी संख्या 1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 02/01/2015 मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्दा दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

  
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण  
जिला पाली (राज०)

निर्णय आज दिनांक 13/01/2015 को सरे ईजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण  
जिला पाली (राज०)  
बंसारण (पानी)

डिक्री बमुकदमो इत्यादाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्दा दीवानी)

अज अदालत  
बरेलिस

उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण  
श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादी :-  
श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए  
महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक  
व प्रशासन) पुत्र श्री जवाहरलाल  
चौपड़ा सा. बांगड नगर अंधेरी  
देवरी, तहसील-मसूदा जिला-अजमेर  
(राज0)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. बाबु पुत्र धूला कौम-सुथार
2. इन्दिरादेवी पतिन प्रेमसिंह  
जाति-रावणा राजपूत  
निवासीगण-निम्बेटी (रास-11)  
तह0-जैतारण, (जिला-पाली)
3. तहसीलदार, जैतारण  
तहसील-जैतारण जिला -पाली

राजस्व वाद बाबत तकासमा आराजी व  
स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:248/2011

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु .....-..... व हाजरी श्री  
चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री देवाराम कटारिया,  
अधिवक्ता, प्रति0 सं0-1 मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि  
माफिक विभाजन प्रस्ताव / बँटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 02/01/2015 मय नजरी नक्शा  
डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद  
मौजा-रास-द्वितीय, पटवार हल्का-रास-द्वितीय, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि आराजी  
खसरा नम्बर 3166 रकबा 9-03 बीघा किरम वारानी दोयम भूमि का बँटवाड़ा  
विभाजन पक्षकारानों में निम्नांकित रूप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूलत	ख0नं0	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किरम	लगान
1	मैसर्स श्री सीमेन्ट लि0 (रास प्रोजेक्ट) जरिए महावीर चौपड़ा महाप्रबंधक (कार्मिक व प्रशासन) बांगड नगर अंधेरी देवरी तह0-मसूदा, जिला-अजमेर खातेदार।	3166	3-01-00	बा0दो0	0.76 रु0
2	रामगोपाल इन्डस्ट्रीज प्रा0लि0 पता 10ए अमरविजय काम्पलेक्स होटल मानसिंह के पास संसारचन्द रोड, जयपुर जरिए अधिकृत प्रतिनिधि श्री महावीर चौपड़ा पुत्र श्री जवाहरलाल चौपड़ा 1/2 हि0 बाबू पुत्र धूला कौम-सुथार सा0 द्राणी निम्बेटी 1/2 हि0 खातेदार।	3166/1	6-02-00	बा0दो0	1.53 रु0

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जावें।  
विभाजन प्रस्ताव / बँटवाड़ा रिपोर्ट अर्थात् पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा निर्णय का  
एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी संख्या  
1 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय  
बँटवाड़ा रिपोर्ट दिनांक 02/01/2015 मय नजरी नक्शा की प्रति भेजकर पालना  
भंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्दा  
दरिखल दपतर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी  
जैतारण (पाली)

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर  
फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।  
बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 13/01/2015 को  
की किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी, जितारण  
देवराय (पाली)  
(जिला-पाली)

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलाह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	२	००	स्टाम्प वकालतनामा	१	००
स्टाम्प वकालतनामा	१	००	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	२	००	महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	२	००	फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर	-		बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-		मुत्फरिक		
मिजान:-	७	००	मिजान:-	१	००

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे, डिकी के जरिए  
दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावे ।